संख्या–2573 / V–आ0–2008–298 (आ0)/ 2008

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

देहरादून

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 19 नवम्बर, 2008

विषय : देहरादून महायोजना 2005–2025 की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड (उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश– 2006 की धारा– 10 (2) के अन्तर्गत देहरादून महायोजना 2005–2025 पर विस्तृत परीक्षणोंपरान्त संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित चार स्थानों पर सुधार/ परिवर्तन (Modification) के साथ राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– महायोजना की अनुमोदित प्रति संलग्न करते हुये निदेशित करना है कि उक्त अधिनियम की धारा– 12 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्राधिकरण स्तर से यह सूचना प्रकाशित करा दी जाए कि देहरादून महायोजना 2005–2025 शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई है, जो इस सूचना के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से ही लागू हो जायेगी। समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि एवं समाचार पत्रों की प्रतियाँ शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3– यह भी निदेशित करना है कि स्वीकृत महायोजना की एक प्रति जनसाधारण के अवलोकनार्थ प्राधिकरण कार्यालय में किसी उपयुक्त स्थल पर रखी जाए। समाचार पत्रों में उक्त सूचना के प्रकाशन में इस स्थल का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

संख्या–2573(1)/ V–आ0–2008– 298 (आ0)/ 2008 दिनांकः 19 नवम्बर, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– एस0टी0सी0पी0, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक– 1920 दिनांक 21 अगस्त, 2007 के सन्दर्भ में स्वीकृत देहरादून महायोजना– 2025 की एक प्रति संलग्न करते हुये सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि प्रदर्शित चार स्थानों पर सुधार/ परिवर्तन के अनुसार मूल महायोजना मानचित्र को यथा स्थान संशोधन कर, क्षेत्रफल एवं प्रतिवेदन में तदानुरूप संशोधन करना सुनिश्चित करें तथा संशोधित मानचित्र के प्रिंट एवं प्रतिवेदन की प्रति शासन को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/ अध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।